

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मांग संख्या 24
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3819.78	219.76	4039.54	5675.00	325.00	6000.00	6070.74	310.26	6381.00	6306.00	348.00	6654.00
वसूलियां	-39.65	...	-39.65
प्राप्तियां
निवल	3780.13	219.76	3999.89	5675.00	325.00	6000.00	6070.74	310.26	6381.00	6306.00	348.00	6654.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	85.15	...	85.15	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	110.24	...	110.24
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	919.19	156.97	1076.16	910.00	190.00	1100.00	1017.36	190.00	1207.36	970.00	180.00	1150.00
3. नियामक प्राधिकरण												
3.01 परीक्षण तथा गुणवत्ता मानकीकरण प्रमाणन (एकटीक्यूसी)	89.16	4.05	93.21	100.00	10.00	110.00	102.00	8.00	110.00	110.00	10.00	120.00
3.02 साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन)	22.92	...	22.92	40.00	...	40.00	31.83	...	31.83	42.00	...	42.00
3.03 प्रमाणीकरण प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए)	5.94	...	5.94	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
जोड़- नियामक प्राधिकरण	118.02	4.05	122.07	147.00	10.00	157.00	140.83	8.00	148.83	160.00	10.00	170.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1122.36	161.02	1283.38	1157.00	200.00	1357.00	1258.19	198.00	1456.19	1240.24	190.00	1430.24
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम												
4. इलेक्ट्रॉनिकी शासन												
4.01 कार्यक्रम घटक	260.53	...	260.53	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00
4.02 ईएपी घटक	16.75	...	16.75	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00
जोड़- इलेक्ट्रॉनिकी शासन	277.28	...	277.28	425.00	...	425.00	425.00	...	425.00	450.00	...	450.00
5. जनशक्ति विकास	256.58	...	256.58	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	400.75	...	400.75
6. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	135.00	...	135.00	150.00	...	150.00	320.00	...	320.00	160.00	...	160.00
7. इलेक्ट्रॉनिकी / आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स)	409.38	50.99	460.37	774.22	90.00	864.22	775.13	69.09	844.22	876.00	110.00	986.00
8. आईटी / आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन	42.66	...	42.66	50.00	...	50.00	43.81	...	43.81	100.00	...	100.00
9. साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी एवं अन्य)	47.94	7.75	55.69	75.00	35.00	110.00	66.83	43.17	110.00	72.00	48.00	120.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. आईटी / इलेक्ट्रॉनिक्स / सीसीवीटी में अनुसंधान और विकास	100.93	...	100.93	178.00	...	178.00	180.00	...	180.00	416.00	...	416.00
11. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	100.00	...	100.00	400.00	...	400.00	438.00	...	438.00	518.00	...	518.00
12. डिजिटल भुगतान का संवर्धन	23.08	...	23.08	595.78	...	595.78	691.78	...	691.78	600.00	...	600.00
13. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	0.01	...	0.01
जोड़-डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	1392.85	58.74	1451.59	2948.00	125.00	3073.00	3240.55	112.26	3352.81	3592.76	158.00	3750.76
14. महिला सुरक्षा योजनाएं												
14.01 महिलाओं के सहायतार्थ घबराहट स्विच आधारित सुरक्षा उपकरण का फील्ड परीक्षण और परियोजना विकास	1.02	...	1.02
14.02 निर्भया निधि से प्राप्त	-1.02	...	-1.02
<i>निवल</i>
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1392.85	58.74	1451.59	2948.00	125.00	3073.00	3240.55	112.26	3352.81	3592.76	158.00	3750.76
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
15. प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)	92.00	...	92.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
16. सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट)	13.95	...	13.95	20.00	...	20.00	24.71	...	24.71	30.00	...	30.00
17. एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर)	42.00	...	42.00	70.00	...	70.00	97.29	...	97.29	90.00	...	90.00
18. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआई)	1150.00	...	1150.00	1375.00	...	1375.00	1345.00	...	1345.00	1227.00	...	1227.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	1297.95	...	1297.95	1565.00	...	1565.00	1567.00	...	1567.00	1467.00	...	1467.00
अन्य												
19. डिजिटल इंडिया कापॉरेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया	5.60	...	5.60	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
20. वास्तविक वसूलियां	-38.63	...	-38.63
जोड़-अन्य	-33.03	...	-33.03	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	1264.92	...	1264.92	1570.00	...	1570.00	1572.00	...	1572.00	1473.00	...	1473.00
कुल जोड़	3780.13	219.76	3999.89	5675.00	325.00	6000.00	6070.74	310.26	6381.00	6306.00	348.00	6654.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	2739.15	...	2739.15	4357.00	...	4357.00	4616.38	...	4616.38	3623.66	...	3623.66
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1004.32	...	1004.32	1010.00	...	1010.00	1117.36	...	1117.36	1080.24	...	1080.24
3. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	36.66	...	36.66
4. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1227.00	...	1227.00
5. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	62.79	62.79	...	135.00	135.00	...	120.26	120.26	...	168.00	168.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	156.97	156.97	...	190.00	190.00	...	190.00	190.00	...	180.00	180.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3780.13	219.76	3999.89	5367.00	325.00	5692.00	5733.74	310.26	6044.00	5930.90	348.00	6278.90

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	308.00	...	308.00	337.00	...	337.00	375.10	...	375.10
जोड़-अन्य	308.00	...	308.00	337.00	...	337.00	375.10	...	375.10
कुल जोड़	3780.13	219.76	3999.89	5675.00	325.00	6000.00	6070.74	310.26	6381.00	6306.00	348.00	6654.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय की स्थापना खर्च के लिए है।

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक संबद्ध कार्यालय, जो नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए ई-शासन, आईसीटी अवसंरचना, अनुप्रयोग और सेवाएं एक प्रमुख वैज्ञानिक/ तकनीकी संगठन है।

3.01. **परीक्षण तथा गुणवत्ता मानकीकरण प्रमाणन (एकटीक्यूसी):** मानकीकरण, परीक्षण, और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी): एसटीक्यूसी निदेशालय एमईआईटीवाई का एक संबद्ध कार्यालय है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के लिए परीक्षण, अंशशोधन, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है।

3.02. **साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन):** आईटी अधिनियम 2000 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार सर्ट-इन को स्थापित किया गया है। सर्ट-इन साइबर घटनाओं पर सूचना के संग्रहण, विवेक्षण और प्रचार-प्रसार, सुरक्षा प्रक्रियाओं, पद्धतियों, साइबर घटनाओं की रोकथाम, प्रत्योत्तर और रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा- निदेश, परामर्श निदेश, सुभेदयता नोट और श्वेतपत्र जारी करने जैसे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में विभिन्न कार्य करता है।

3.03. **प्रमाणीकरण प्राधिकरणों का नियंत्रण (सीसीए):** सीसीए प्रमाणन प्राधिकारियों (सीए) को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) जारी करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 18 के तहत सीसीए सीए की सार्वजनिक कुंजियों के मानकों को बनाए रखने जाने तथा सीए के अन्य कार्यों को प्रमाणित करता है।

4. **इलेक्ट्रॉनिक्स शासन:** व्यापक रूप में ई-गवर्नेंस का उद्देश्य है कि नागरिकों को विभिन्न मोड के माध्यम से एकीकृत और अंतर-प्रचलित प्रणालियों के माध्यम से उसके इलाके में सस्ती कीमत पर दक्षता, पारदर्शिता से सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से प्रदायगी सुनिश्चित करना है। विश्व बैंक समर्थित "इंडिया: लोक सेवाओं की ई-प्रदायगी" परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स शासन योजना के तहत एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है जिसके तहत नीतियों, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, परियोजना के विकास आदि के व्यापक क्षेत्रों में भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्यों की विभिन्न ई-शासन पहलों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. **जनशक्ति विकास:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित जन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इन पहलों में औपचारिक क्षेत्रों में कमी का पता लगाना और गैर-औपचारिक और औपचारिक क्षेत्र और नियोजन कार्यक्रमों से इस कमी को दूर करना शामिल करना है।

6. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** इस योजना को देश भर में कई गीगाबिट बैंडविड्थ के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना करने तथा ज्ञान संस्थानों से कनेक्ट करने के लिए शुरू किया गया है।

7. **इलेक्ट्रॉनिक्स / आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर):** सरकार उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने हेतु देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के संवर्धन हेतु निरंतर आधार पर अनेक कार्यक्रम शुरू कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक है और निवल शून्य आयात हासिल करने का लक्ष्य इस इरादे को प्रतिबिम्बित करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण केन्द्र बनने की विपुल संभावना है। और यह जीडीपी, रोजगार अवसरों और निर्यातों में महत्वपूर्ण अंशदान कर सकती है।

8. **आईटी / आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में वीपीओ / आईटीईएस के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल कमी वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए और आईटी/ आईटीईएस उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, आईटी के लिए नौकरियां स्वभके अन्तर्गत दो योजनाओं (एनईबीपीएस और आईबीपीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

9. **साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी एवं अन्य):** इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास, कानूनी ढांचे और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए कई तरह की पहलें शुरू करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है।

10. **आईटी / इलेक्ट्रॉनिक्स / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान एवं विकास के समर्थन से उभरती हुई प्रौद्योगिकी का प्रसार और समावेश तथा इस कार्यक्रम के अतिरिक्त आवश्यक अनुसंधान एवं विकास के लिए बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक और तकनीकी जन पूंजी तैयार करना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में स्टार्ट-अप आधार बढ़ाने, आईपी पोर्टफोलियो को बढ़ाने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और भारतीय कंपनियों को निर्माण के लिए उसका हस्तांतरण अपेक्षित है। विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स में अनुसंधान एवं विकास को वर्गीकृत किया गया है (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और अनुप्रयोग ; ई-कचरा प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी सहित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक और सामग्री प्रौद्योगिकी अर्धचालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर) सहित नैनो और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, और नवप्रवर्तन प्रोत्साहन एवं स्टार्ट-अप); आईटी में अनुसंधान एवं विकास ; राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन सहित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी), प्रसेप्टन इंजीनियरिंग, जैव सूचना विज्ञान; नि: शुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर, ग्रीन और सर्वव्यापी कम्प्यूटिंग ; डिजिटल संरक्षण) और सीसी और बीटी में आर एंड डी (अगली पीढ़ी का संचार-5जी और इससे परे, सञ्ज्ञानात्मक और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो नेटवर्क, क्लाउड संचार, आईओटी, विंग डाटा एनालिटिक्स, ब्रांडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकी और सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स) के रूप में परिभाषित किया गया है।

11. **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान:** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, खासकर डिजिटल भुगतान के लिए कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस संचालित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है।

12. **डिजिटल भुगतान का संवर्धन:** हमारे देश के प्रत्येक भाग को डिजिटल भुगतान सेवाओं के औपचारिक दायरे में लाने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल भुगतानों के प्रोत्साहन को उच्चतम प्राथमिकता दी है। भारत के सभी नागरिकों को सुविधाजनक, आसान, किफायती त्वरित और सुरक्षित तरीके से बाधारहित डिजिटल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है।

13. **चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना:** इस योजना ने विकास को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने, रोजगार उत्पन्न करने, गुणवत्ता और मानकों में सुधार करने की क्षमता को साकार करने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की है। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस) 12 पहचानपाने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

15. **प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक):** सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसके बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुम्बई, नोएडा, पुणे, सिलचर तथा तिरुवनंतपुरम शहरों में 11 केन्द्र हैं। सी-डैक जिन क्षेत्रों में फिलहाल काम कर रहा है उनमें उच्च कार्यनिष्पादन, गिड और क्लाउड कम्प्यूटिंग का (राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन सहित); बहुभाषी कम्प्यूटिंग; पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी; सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी; साइबर सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक; स्वास्थ्य सूचना; और शिक्षण और प्रशिक्षण शामिल हैं।

16. **सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट):** यह डीआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो अत्याधिक उच्च इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और सेमीकन्डक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों और आरओएचएस अनुपालन, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए सामग्री, माइक्रोवेव डाइइलेक्ट्रिक्स तथा पैकेजिंग, स्मार्ट शहरों के लिए ऐक्टुयेटर्स तथा सेंसर के लिए बहुपरतीय सेरामिक्स, सुपरकैपेसिटर्स उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करता है तथा पुणे, हैदराबाद और त्रिशूर में इसके तीन केन्द्र हैं। इसने होमलैंड सुरक्षा के लिए टैरा हर्ट्ज सामग्री पर एक नये केंद्र की स्थापना की योजना बनाई है।

17. **एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर):** यह विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो माइक्रोवेव, मिलीमीटरवेव और विद्युत चुंबकत्व के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास में विशेष लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसके मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में पांच केन्द्र हैं।

18. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआई):** यूनिफ आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (युआईडीएआई): यूनिफ आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (युआईडीएआई) का उद्देश्य, विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रदायगी और इन सेवाओं के प्रभावी लक्ष्य-निर्धारण के लिए एक बुनियादी पहचान ढांचा प्रदान करना है। इसका अन्य उद्यम और सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी सेवा डिलीवरी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह ऐसे अनुप्रयोगों और सेवाओं की पुष्टि / सत्यापन के रूप में आधार में शामिल अनोखी बायोमेट्रिक विशेषताओं के माध्यम से व्यक्तियों की ऑनलाइन पहचान निर्धारित करता है जिससे पहचान के प्रमाण और उपस्थिति के प्रमाण का भी निर्धारण किया जाता है।

19. **डिजिटल इंडिया कार्रेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया:** यह एमईआईटीवाई के अंतर्गत धारा 8 कम्पनी के रूप में गठन किया गया है, जो आम आदमी के लिए आजीविका सृजन, विकलांगों का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण के क्षेत्र में आईसीटी समाधान के लाभ पर केंद्रित रूप से कार्य करता है।